रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06032020-216549
CG-MH-E-06032020-216549

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]	**नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2020/फाल्गुन 13, 1941**
No. 88]	**NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2020/PHALGUNA 13, 1941**

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 18 फरवरी, 2020

विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020

सं. फेमा.398/आरबी-2020.—विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के परिच्छेद (ज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा–

1. **लघु शीर्षक और प्रत्यावर्तन**

   i. इन विनियमों को विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।

   ii. ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **संशोधन**

   i. विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) के अनुच्छेद 2 (परिभाषाएं) के उप-अनुच्छेद (ii) में 'प्राधिकृत डीलर' की परिभाषा में पाठ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

'प्राधिकृत डीलर' का आशय है रिज़र्व बैंक द्वारा इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति;

ii. विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) के अनुच्छेद 2 (परिभाषाएं) के उप-अनुच्छेद (v) में 'विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा' का आशय है ऐसी वित्तीय संविदा जो अपना मूल्य दो मुद्राओं की विनिमय दरों में परिवर्तन से व्युत्पन्न करती है, जिनमें से कम-से-कम एक मुद्रा भारतीय रुपया नहीं है या जो अपने मूल्य को विदेशी मुद्रा के ब्याज दर में परिवर्तन से अपने मूल्य को व्युत्पन्न करती है और जो किसी भावी तारीख, अर्थात हाजिर निपटान की तारीख से पहले की कोई तारीख, प्रावधान किया जाता है कि नेपाल और भूटान की मुद्राओं वाली संविदाएं इस परिभाषा के तहत अर्हक नहीं होंगी।

iii. विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) के अनुच्छेद 2 (परिभाषाएं) में विद्यमान परिभाषाओं के बाद निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए:

(xii) 'संविदागत एक्सपोजर' का आशय इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए विनियमों, के तहत की गई संविदाओं के संदर्भ में अनुमेय चालू और पूंजी खाते के लेनदेन के कारण पैदा होने वाले मुदा जोखिम से है।

(xiii) 'प्रत्याशित एक्सपोजर' का आशय इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन के कारण पैदा होने वाले मुद्रा जोखिम से है, जो कि भविष्य में किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

(xiv) 'मुद्रा जोखिम' का आशय है किसी विदेशी मुद्रा या किसी एक विदेशी मुद्रा की विनियम दरों में उतार-चढ़ाव के कारण या किसी विदेशी मुद्रा के लिए अनुमेय ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण के बदले में रुपये की विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव।

(xv) 'हेजिंग' का आशय है मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन के क्रियाकलाप करना।

(xvi) 'एक्सचेन्ज ट्रेडेट करेन्सी डेरिवेटिव' का आशय है वे मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं जिनका किसी भावी निर्दिष्ट तारीख को, संविदा की तारीख को निर्दिष्ट कीमत पर किसी दूसरी मुद्रा के बदले में किसी मुद्रा के क्रय अथवा विक्रय के लिए किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में सौदा किया जाता है

iv. विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) के अनुच्छेद 2 (परिभाषाएं) के विद्यमान उप-अनुच्छेदों यथा (iii), (iv), (vक), (vi), (viii), (ix) और (xi) को विलोपित किया जाएगा।

v. विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) के अनुच्छेद 4 (भारत में निवासी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा करने की अनुमति) में विद्यमान पाठ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा करने की अनुमति – कोई व्यक्ति चाहे वह भारत का निवासी हो या भारत के बाहर का निवासी हो, इस विनियम की अनुसूची-I में निहित प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा या एक्सचेन्ज में सौदाकृत मुद्रा डेरिवेटिव संविदा कर सकता है।

vi. विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) के विद्यमान अनुच्छेदों 5, 5ए, 5बी और 5सी को विलोपित किया जाएगा।

vii. अनुच्छेद 7 के उप-अनुच्छेद (ग) (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा से संबंधित विप्रेषण), में विनियम 5 से संबंधित संदर्भ को विनियम 4 से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

viii. विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) की अनुसूची I का नाम बदल कर "अनुमेय विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा" किया जाएगा।

ix. विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) की अनुसूची I के विद्यमान पाठ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

1. कोई व्यक्ति चाहे वह भारत में निवासी हो या भारत के बाहर का निवासी हो, प्राधिकृत डीलर के साथ विदेशी मुद्रा डेरिविटिव संविदा कर सकता है। ऐसी संविदाएं जिनमें रुपया शामिल है, वे निम्नलिखित शर्तों के तहत होंगी:

i. कि संविदागत या प्रत्याशित एक्सपोजर की हेजिंग के प्रयोजन से ऐसी संविदाएं की जाएंगी

प्रावधान किया जाता है कि संविदागत या प्रत्याशित एक्सपोजर आधारित नहीं होने वाली संविदाओं को निष्पादित किया जा सकता है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत है

यह भी प्रावधान किया जाता है कि ऐसे लेनदेन जिनमें रुपया निहित है लेकिन जिनका निपटान विदेशी मुद्रा की डिलीवरी देकर किया जाता है उन्हें केवल प्राधिकृत डीलर द्वारा या भारत में निवास नहीं कर रहे व्यक्ति द्वारा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार यथा अनुमत ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा ही किया जाएगा।

ii. कि प्राधिकृत डीलर द्वारा जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाएगा तो यह व्यक्ति एक्सपोजर के विवरणों को प्राधिकृत डीलर के साथ शेयर करेगा।

2. कोई व्यक्ति प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत मान्यता प्राप्त किसी एक्सचेन्ज में एक्सचेन्ज में सौदाकृत मुद्रा डेरिवेटिव संविदा कर सकता है। ऐसी संविदाएं जिनमें रुपया शामिल है, वे निम्नलिखित शर्तों के तहत होंगी:

i. कि इन विनियमों में यथा-परिभाषित संविदागत एक्सपोजरों की हेजिंग के प्रयोजन से ऐसी संविदाएं की जाएंगी

ii. कि ऐसा व्यक्ति अपनी पोजिशन सीमाओं से अधिक की पोजिशनों की निगरानी के लिए भारत में प्राधिकृत डीलर की नियुक्ति करेगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सचेंज के लिए निर्धारित किया हुआ है

iii. कि प्राधिकृत डीलर द्वारा जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाएगा तो यह व्यक्ति एक्सपोजर के विवरणों को प्राधिकृत डीलर के साथ शेयर करेगा

x. विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (विदेशी मुद्रा विनियम डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) की अनुसूची II के तहत दिया गया विद्यमान पाठ विलोपित कर दिया जाएगा।

डिम्पल भांडिया, महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./487/19]

पाद टिप्पणी :

मूल नियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. 411(अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:

सा.का.नि. 756(अ) दिनांक 28.09.2000,

सा.का.नि. 264(अ) दिनांक 09.04.2002,

सा.का.नि. 579(अ) दिनांक 19.08.2002,

सा.का.नि. 222(अ) दिनांक 18.03.2003,

सा.का.नि. 532(अ) दिनांक 09.07.2003,

सा.का.नि. 880(अ) दिनांक 11.11.2003,

सा.का.नि. 881(अ) दिनांक 11.11.2003,

सा.का.नि. 750(अ) दिनांक 28.12.2005,

सा.का.नि. 222(अ) दिनांक 19.04.2006,

सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 19.04.2006,

सा.का.नि. 760(अ) दिनांक 07.12.2007,

सा.का.नि. 577(अ) दिनांक 05.08.2008,

सा.का.नि. 440(अ) दिनांक 23.06.2009,

सा.का.नि. 895(अ) दिनांक 14.12.2009,

सा.का.नि. 635(अ) दिनांक 27.07.2010,

सा.का.नि. 608(अ) दिनांक 03.08.2012,

सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 30.10.2012,

सा.का.नि. 330(अ) दिनांक 23.05.2013,

सा.का.नि. 374(अ) दिनांक 02.06.2014,

सा.का.नि. 365(अ) दिनांक 01.06.2016

सा.का.नि. 378(अ) दिनांक 25.10.2016

सा.का.नि. 260(अ) दिनांक 17.03.2017 और

सा.का.नि. 1234(अ) दिनांक 24.10.2017

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th February, 2020

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (First Amendment) Regulations, 2020

No. FEMA.398/RB-2020.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), namely:

1. Short title & commencement

i. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (First Amendment) Regulations, 2020.

ii. These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendments

i. In para 2 (Definitions) of the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) the text of the definition of "authorised dealer" at sub para (ii) shall be substituted by the following:

> 'authorised dealer' means a person authorised as such by Reserve Bank under sub-section (1) of section 10 of the Act;

ii. In para 2 (Definitions) of the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) the existing definition of 'Foreign exchange derivative contract' at sub para (v) shall be substituted by the following:

> "Foreign exchange derivative contract" means a financial contract which derives its value from the change in the exchange rate of two currencies at least one of which is not Indian Rupee or which derives its value from the change in the interest rate of a foreign currency and which is for settlement at a future date, i.e. any date later than the spot settlement date, provided that contracts involving currencies of Nepal and Bhutan shall not qualify under this definition.

iii. In para 2 (Definitions) of the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) the following may be added after the existing definitions:

> (xii) 'Contracted exposure' refers to currency risk arising on account of current and capital account transactions permissible under the Act or any rules or regulations made thereunder, that have been entered into.
>
> (xiii) 'Anticipated exposure' refers to currency risk arising on account of current and capital account transactions permissible under the Act or any rules or regulations made thereunder, that are proposed to be entered into in future.
>
> (xiv) 'Currency risk' means the potential for loss on account of movement in exchange rates of Rupee against a foreign currency or on account of movement in exchange rates of one foreign currency against another or on account of movement of interest rate applicable to a foreign currency.
>
> (xv) 'Hedging' means the activity of undertaking a foreign exchange derivative transaction to manage currency risk.
>
> (xvi) 'Exchange traded currency derivatives' means a standardised foreign exchange derivative contract traded on a recognized stock exchange to buy or sell one currency against another on a specified future date, at a price specified on the date of contract.

iv. In para 2(Definitions) of the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) the existing sub-paras (iii), (iv), (va), (vi), (viii), (ix) and (xi) shall stand deleted.

v. In para 4 (Permission to a person resident in India to enter into a Foreign Exchange Derivative contract) of the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) the existing text shall be replaced with the following:

"**Permission to enter into a foreign exchange derivative contract** - A person, whether resident in India or resident outside India, may enter into a foreign exchange derivative

contract or exchange traded currency derivative contract in accordance with provisions contained in Schedule I of this regulation.

vi. The existing paras 5, 5A, 5B and 5C of the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) shall stand deleted.

vii. In sub-para (c) of para 7(Remittance related to a Foreign exchange derivative contract), the reference to Regulation 5 shall stand replaced by Regulation 4.

viii. Schedule I of the of the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) shall be renamed as "Permissible foreign exchange derivative contract"

ix. The existing text under Schedule I of the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) shall be substituted by the following:

1. A person, whether resident in India or resident outside India, may enter into a foreign exchange derivative contract with an authorised dealer. Contracts involving Rupee subject to the following condition(s):

i. that such contracts shall be for the purpose of hedging a contracted or anticipated exposure

Provided that contracts not based on a contracted or anticipated exposure may be undertaken, as may be permitted by the Reserve Bank of India

Provided further that transactions that involve the Rupee but are settled by delivery of a foreign currency shall be undertaken only by an authorised dealer or a person not resident in India and such other persons as may be permitted by the Reserve Bank of India, in terms of the directions issued in this regard by the Reserve Bank of India.

ii. that such person shall share the details of the exposure with the authorised dealer when called upon to do so by the authorised dealer.

2. A person may enter into an exchange traded currency derivative contract on an exchange recognised under section 4 of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956. Contracts involving Rupee shall be subject to the following condition(s):

i. that such contracts shall be for the purpose of hedging a contracted exposure as defined in these regulations.

ii. that such person shall designate an Authorised Dealer in India for monitoring of their positions taken beyond such position limits as may be prescribed by the Reserve Bank of India to an exchange.

iii. that such person shall share the details of the contracted exposure with the Authorised Dealer when called upon to do so by the dealer.

x. The existing text under Schedule II of the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) shall be deleted.

DIMPLE BHANDIA, General Manager (Officer-in-Charge)

[ADVT.-III/4/Exty./487/19]

Footnote-

The principal regulations were published in the Gazette of Government of India-Extraordinary-Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* G.S.R. 411(E) dated May 8, 2000 and subsequently amended *vide*–

G.S.R. 756(E) dated 28.09.2000,

G.S.R. 264(E) dated 09.04.2002,

G.S.R. 579(E) dated 19.08.2002,

G.S.R. 222(E) dated 18.03.2003,

G.S.R. 532(E) dated 09.07.2003,

G.S.R. 880(E) dated 11.11.2003,

G.S.R. 881(E) dated 11.11.2003,

G.S.R. 750(E) dated. 28.12.2005,

G.S.R. 222(E) dated 19.04.2006,

G.S.R. 223(E) dated 19.04.2006,

G.S.R. 760(E) dated 07.12.2007,

G.S.R. 577(E) dated 05.08.2008,

G.S.R. 440(E) dated 23.06.2009,

G.S.R. 895(E) dated 14.12.2009,

G.S.R. 635(E) dated 27.07.2010,

G.S.R. 608(E) dated 03.08.2012,

G.S.R. 799(E) dated 30.10.2012,

G.S.R. 330(E) dated 23.05.2013,

G.S.R. 374(E) dated 02.06.2014,

G.S.R. 365(E) dated 01.06.2016

G.S.R. 378(E) dated 25.10.2016

G.S.R. 260(E) dated 17.03.2017 and

G.S.R. 1324(E) dated 24.10.2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.06 10:17:39 +05'30'